2/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 27/2018

उप तहसीलदार छानी बड़ी जरिए जगदीश प्रसाद पुत्र श्री किशना राम जाति मीणा निवासी लम्बोर छिम्पियान तहसील राजगढ जिला चूरू ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सोहन लाल पुत्र चोखाराम जाति खाती निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा हनुमानगढ़ ।
2. ग्राम पंचायत छानी बड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी तहसील भादरा ।
4. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा ।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 बअनवानी स्टेट बनाम सोहन लाल वापिस लौटाई गई पत्रावली को स्वीकार किये जाने बाबत एवं जोहड़ पायतन की भूमि पर जारी किये गये पट्टा दिनांक : 20.06.1974 को निरस्त किये जाने बाबत ।

निर्णय दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. प्रार्थी ने बअदालत उप तहसीलदार (राजस्व) छानी बड़ी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा के पत्रांक : 2831 दिनांक : 31.08.2018 के विरुद्ध निगरानी पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशय से पेश की है ।

2. यह है कि ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो खसरा नं0 89 की तादादी 0.405 है0 भूमि गैर मुमकिन पायतन पाल है जिसमें 3000 वर्गफुट पर सोहन लाल पुत्र चोखाराम जाति खाती निवासी छानी बड़ी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है तथा उसने अपने अतिक्रमण वाली जगह के अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टा क्रमश : सोहन लाल पुत्र चोखाराम जाति खाती के नाम पट्टा नं0 0 दिनांक : 26.06.1974 तादादी 750 दरगज 30 गुणा 25 फुट जारी करवा लिया है ।

3. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ग्राम पंचायत को छानी बड़ी को केवल आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी से दु :रभि सन्धि करके करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के गरज से ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो खसरा नं0 89 तादादी 0.405 है0 भूमि गैर मुमकिन पाल है जिसमें 3000 वर्गफुट जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, जो आबादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गैर मुमकिन पाल दर्ज है, को बिना अधिकार के खिलाफ कानूनन् अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत से मिली भगत कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना अधिकार खिलाफ कानून पट्टे जारी कर जो विधि विरूद्ध है । अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध उक्त अतिक्रमण के लिए प्रार्थी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक : 20.11.2014 को अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है ।

4. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 विधि विरूद्ध पाल की जगह पर गैर कानूनी ढंग से उनके पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 जारी तथाकथित पट्टे के आधार पर अपने अतिक्रमण को पुख्ता करने

क्रमशः

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के लिए निर्माण पर तुले हुए हैं एवं पट्टे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाने जाने की सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है । इस लिए उक्त पट्टा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया है । उक्त पट्टा को विधि विरूद्ध जारी होना बताते हुये व पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद बताते हुए खारिज किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई परन्तु मातहत अदालत द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मूल ही उचित हेतु वापिस लौटा दी गई कि अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिवस अधिक होने पर स्वीकार नहीं की जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंपील वापिस लौटाई जाने से व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

(क) यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा 5 सी.एच.एन. जो खसरा नं0 89 तादादी 0.405 है0 भूमि गैर मुमकिन पाल है जिसमें 3000 वर्ग फुट में से अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टे सोहन लाल पुत्र चोखाराम जाति खाती निवासी छानी बड़ी के नाम पट्टा नं0 0 दिनांक : 26.06.1974 तादादी 750 दरगज 30 गुणा 25 वर्गफुट का जारी करवा लिया है । अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टे जो कि रिकार्ड में गैर मुमकिन पाल दर्ज है, का पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था एवं ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर मूल ही पत्रावली वापिस लौटा दी गई एवं मात्हत अदालत द्वारा कतई गलत तौर से पत्रावली वापिस लौटाई गई है एवं उपराक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है ।

(ख) यह कि अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये हैं न कि आबादी भूमि पर जारी किये है जो अपास्तनीय है ।

(ग) यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया है एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपना कर पत्रावली लौटा दी गई जो कतई नियम विरूद्ध एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है ।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 दिनांक : 11.11.1974 को निरस्त फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 पर स्वयं पर नोटिस की तामील हुई । मूल पट्टाधारक सोहन लाल पुत्र चोखाराम के नाम से बना हुआ है परन्तु बावजूद नोटिस तामील के अप्रार्थीगण संख्या 1 उपस्थित नहीं । इनके उपस्थित नहीं आने के कारण अनुपस्थिति दर्ज की जाती है ।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सी.एच.एन. संवत् 2073–2076 के खसरा नं0 89 की 0.405 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन पाल दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य

अतिरिक्त कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उदेश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट (पीआईएल) सं0 1554/04 निर्णय दिनांक : 12.01.17 अनवान गुलाब बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी.सिविल रिट सं0 1536/03 निर्णय दिनांक : 02.08.2004 अनवान अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि नदी, नाला, वन विभाग एवं कैचमेण्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता । चूंकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, वह जोहड़ की भूमि की पायतन (पाल) पर जारी किये गये हैं । ऐसे विधि विरूद्ध पट्टों को उक्त न्यायिक दृष्टान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है ।

अत : राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर हस्तगत पट्टा दिनांक : 26.06.1974 जिसमें 3000 वर्गफुट जो सोहन लाल पुत्र चोखाराम जाति खाती निवासी छानी बड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक : 26.06.1974 को जारी किये गये हैं, को निरस्त किया जाता है ।

यह निर्णय आज दिनांक : 02.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत से जारी किया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

(डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)